न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

रेफरेन्स संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/01/2018	2018/00144	18.05.2018	17.06.2022

01–तहसीलदार (भूमिधारी) अलवर जिला अलवर।

–प्रार्थी

बनाम

01–लालाराम पुत्र प्रभाती जाति माली।
02–लक्ष्मी देवी पत्नी रामजीलाल नेशनल स्कूल ए ब्लॉक बुद्धविहार अलवर।
03–सोहनलाल पुत्र प्रभाती जाति माली ।
04–मीरा पुत्री प्यारेलाल पत्नी नेमीचंद सैनी प्रतापबास अलवर।
05–भूदेव दत्तक पुत्र प्यारेलाल, गांधी नेशनल स्कूल ए ब्लॉक बुद्धविहार अलवर।
06–लल्लूराम पुत्र मिश्री जाति माली
07–श्यामलाल पुत्र मिश्री जाति माली।
08–कन्हैयालाल पुत्र मिश्री जाति माली।
09–रामकिशन पुत्र मिश्री जाति माली निवासी अलवर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–
01–श्री दीपक कुमार मीणा –राज.अधिवक्ता
02–श्री विशम्भर दयाल गुप्ता –अप्रार्थीगण

निर्णय

यह रेफरेन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से रिमाण्ड होकर इस निर्देश के साथ प्राप्त हुआ है कि प्रकरण में जमाबंदी संवत् 2009 में अंकित सभी तथ्यों की पूर्ण जांच कर जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के प्रभाव में आने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एंव उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 30.09.1957 तथा कोर्ट ऑफ वार्डस के अंकन का वर्तमान प्रकरण पर प्रभाव की पुनः विधि अनुसार जांच कर रेफरेन्स राजस्व मण्डल को

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

प्रेषित करें। प्रकरण को पुनः दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी सम्वत् जमाबंदी 2009 के अनुसार मूर्ति मंदिर की आराजी है । अप्रार्थीगण के बुजुर्गान को खातेदारी गलत दी गई है। मूर्ति मंदिर की भूमि पर किसी प्रकार की खातेदारी नही दी जा सकती। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर आराजी वापस मूर्ति मंदिर के नाम दर्ज की जावे।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त की आराजी थी जिसकी खातेदारी के हकूक अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गये थे। अप्रार्थीगण के पूर्वज प्रभारी व मिश्रीलाल ने मूर्ति मंदिर के खिलाफ एक दावा उप जिलाधीश अलवर में पेश किया था, जो दिनांक 30.09.1957 को उप जिलाधीश अलवर द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वजों को खातेदारी काश्तकार स्वीकार किया गया था। उक्त आराजी अप्रार्थीगण की पैतृक आराजी है, जो उप जिलाधीश अलवर के डिक्री आदेश दिनांक 30.09.1957 के आधार पर प्राप्त हुई है। उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण के बुर्जुगान का कब्जा रहा है। रेफरेन्स में जिस विवादित आराजी का जिक्र किया गया है, उसके सम्बन्ध में कथन है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 294 रकबा 0.05 है0, जो कि साबिक खसरा नम्बर 263 में से बना है व आराजी हाल खसरा नम्बर 289 रकबा 0.05 है0 जो कि साबिक खसरा नम्बर 259 में से बना है । उक्त आराजी बुद्धविहार की घनी आबादी क्षेत्र में विद्यमान है। नगर विकास न्यास अलवर द्वारा विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 263 में से 5 ऐयर भूमि व साबिक खसरा नम्बर 259 में से 5 ऐयर भूमि को आवासीय निर्माण मानते हुए अवाप्ति से मुक्त करते हुए बाकी आराजी को अवाप्त किया जाकर बुद्धविहार आवासीय योजना के नाम से आवासीय कॉलोनी विकसित कर दी गई। मौंके पर वर्तमान में कोई कृषि भूमि शेष नहीं है न ही मौंके पर विवादित आराजीयात पर काश्त हो रही है। उक्त की पुष्टि हेतु स्थानान्तरण कब्जा पत्र दिनांक 27.06.1983 की प्रमाणित प्रति संलग्न कराई जा रही है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 16.11.2007 में उक्त भूमि को खाली बताया गया है जो गलत है जबकि यू0आई0टी0के हस्तानान्तरण पत्र में उक्त भूमि में 4–4 बिस्वा कम किया जाकर पक्के मकान दर्शाये गये है। अतः श्रीमान से निवेदन कि तहसीलदार अलवर द्वारा पेश किया गया रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। विवादित भूमि संवत् 2009 की जमाबंदी में मंदिर मूर्ति सीताराम जी महाराज की माफीदारी के रूप में दर्ज किया हुआ है तथा अप्रार्थीगण को काश्तकार के रूप में अंकित किया हुआ है। विवादित भूमि पर मुनजानिब कोर्ट ऑफ वार्ड्स बयसराकर गंगाराम ब्रदर्स खुद हरसह बहिस्सेदार बराबर अंकित है जिससे विवदित भूमि माफी रिज्यूम होने पर जागीर पुनर्गहण अधिनियम एंव

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वतः ही काबिज काश्तकार बन गए जिससे विवादित आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रही है। उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 30.09.1957 से विवादित भूमि का अप्रार्थीगण के पूर्वजों को खातेदार घोषित किया गया है उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील तहसीलदार द्वारा किया जाना जाहिर नहीं होता है। इसलिये अब यह डिक्री रेफरेन्स के माध्यम से निरस्त नहीं की जा सकती। तहसीलदार अलवर द्वारा जमाबंदी संवत् 2009 को आधार बनाकर रेफरेन्स पेश किया है जो उचित नहीं है। नगर विकास न्यास अलवर की हस्तान्तरण कब्जा दिनांक 27.06.1983 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि गत खसरा नम्बर 259 व 263 में से 4–4 बिस्वा पक्का मकान होने के कारण उक्त भूमि को छोड़कर अवाप्ति की कार्यवाही की गई है। जिसके सम्बन्ध में भी तहसीलदार अलवर ने प्रकरण में कोई उल्लेख नहीं किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में मौंके पर जमीन खाली होना बताई गई जबकि कब्जा हस्तान्तरण पत्र में अप्रार्थी के मकानात बने होना से कब्जा नहीं लिया जाने का उल्लेख किया है जिससे प्रस्तुत रेफरेन्स में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होने के कारण तहसीलदार अलवर द्वारा रेफरेन्स किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः रेफरेन्स खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार अलवर द्वारा प्रस्तुत रेफ़रेन्स सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

17.06.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर